प्रकाशनार्थ अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>युगलपीठः</u>

कोरमः माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 169/2004</u>

अजय प्रकाश बंजारे व तीन अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विचार हेतु निर्णय</u>

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ

सही/-

एन.के. अग्रवाल

न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनाँक 25/2/2011को सूचीबद्ध करें

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 169/2004

युगलपीठः

कोरमः माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

अपीलार्थीगण (अभिरक्षा में)

1. अजय प्रकाश बंजारे पिता चंद्रिका प्रसाद बंजारे, आयु लगभग 22 वर्ष
2. ओम प्रकाश पिता कामता प्रसाद, आयु लगभग 21 वर्ष
3. टेकराम टंडन पिता कार्तिक टंडन, आयु लगभग 20 वर्ष
4. दमेश्वर पिता गुलाबचंद, आयु लगभग 20 वर्ष

सभी निवासी ग्राम गिरहोला थाना नंदिनी, जिला: दुर्ग-(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराःजिला मजिस्ट्रेट दुर्ग-(छ.ग.)

.....

अपीलार्थी क्रमांक 1 की ओर सेः श्री राजकुमार गुप्ता, अधिवक्ता।

अपीलार्थी क्रमांक 2 की ओर सेः श्री योगेश पाण्डेय, अधिवक्ता।

अपीलार्थी क्रमांक 3 की ओर सेः श्रीमती हमीदा सिद्दीकी,अधिवक्ता।

अपीलार्थी क्रमांक 4 की ओर से श्री प्रफुल्ल भरत, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर सेः श्रीमती मधुनिशा सिंह,पैनल अधिवक्ता।

.....

निर्णय

(उद्घोषित करने का दिनाँक 01मार्च,2011)

1. इस अपील में ,पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 252/2002 में दिनांक 4.2.2004 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है । उक्त निर्णय के अधीन, विद्वान पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को समान्य आशय के अग्रसरण में मोहन बंजारे की हत्या आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में आता है, का दोषी ठहराया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन सिद्धदोष करते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 100/- रुपये अर्थदंड,अर्थदंड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में, दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि साक्ष्य का एक अंश भी मौजूद न होने के बावजूद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार सिद्धदोष व दंडित किया है, और इस प्रकार अवैधता कारित की है।

3. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, दिनाँक 10.5.2002 को घटना के दिन रात लगभग 10 बजे, सभी अपीलार्थीगण मोहन बंजारे (अब मृतक) की तलाश कर रहे थे। वे घातक हथियार लिए हुए थे और गिरहोला पुल के पास मोहन बंजारे के साथ मारपीट कर रहे थे, जहाँ अभागा मृतक मोहन बंजारे रात करीब 10 बजे पहुँचा था। अपीलार्थीगण तलवार, खंजर, लाठी और ननचाकू धारण किए हुए थे; उन्होंने उक्त हथियारों से मोहन बंजारे पर बार-बार वार किए, उसे घसीटा और उसकी तत्काल मृत्यु कारित कर दी। तत्पश्चात, वे मोहन बंजारे के शव को पुल से खेत तक घसीट कर ले गए जहाँ उन्होंने शव को छिपा दिया। अपीलार्थी अजय बंजारे तलवार लिया हुआ था, अपीलार्थी ओमप्रकाश खंजर लिया हुआ था, अपीलार्थी टेकराम ननचाकू लिया हुआ था और अपीलार्थी दमेश्वर लाठी लिया हुआ था। अपराध कारित करने के उपरांत, सभी अपीलार्थी घटना

स्थल से चार किलोमीटर दूर स्थित थाना नंदिनी में रात 11.45 बजे, अर्थात् एक घंटे पैंतालीस मिनट के भीतर पहुँचे। अपीलार्थी अजय बंजारे के बताए अनुसार प्रदर्श पी/3 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। अपीलार्थी अजय ने रक्तरंजित तलवार पेश किया जिसे प्रदर्श पी/4 के माध्यम से उससे जब्त किया गया। अपीलार्थी ओमप्रकाश ने रक्तरंजित खंजर पेश किया जिसे प्रदर्श पी/5 के माध्यम से जब्त किया गया। अपीलार्थी दमेश्वर ने एक लाठी पेश किया, जिसकी लकड़ी की कुछ छाल गायब थी, इसे प्रदर्श पी/6 के माध्यम से जब्त किया गया। अपीलार्थी टेकराम ने ननचाकू का टूटा हुआ टुकड़ा पेश किया, जिसे प्रदर्श पी/7 के माध्यम से जब्त किया गया। विवेचना अधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और एक बाँस की लाठी , एक रक्तरंजित ननचाकू,एक बाँस की लाठी,मृतक के रक्तरंजित चार दांत, मृतक के सिर के बाल, रक्तरंजित और सादी मिट्टी, एक बाँस की लाठी और मृतक की रक्तरंजित एक जोड़ी चप्पल प्रदर्श पी/16 के माध्यम से जब्त की। साक्षियों को प्रदर्श पी/13 के माध्यम से आहूत करने के पश्चात, मृतक मोहन बंजारे के शव का मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी/14 के माध्यम से तैयार किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा प्रदर्श पी/12 के माध्यम से घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। शव को शव-परीक्षण हेतु जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया जहाँ डॉ. ए.पी. सामंत (अ.सा.-9) ने प्रदर्श पी/10 के माध्यम से शव-परीक्षण किया एवं निम्नलिखित चोटें पाईं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) ठोड़ी पर 11 सेमी x 4 सेमी का कटा हुआ घाव , हड्डी की गहराई तक।

(ii) ठोड़ी और गर्दन के मध्य 10 सेमी x 2 सेमी x ½ सेमी का कटा हुआ घाव।

(iii) नाक के मध्य भाग पर 2 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव।

(iv) दाहिने गाल पर 1 सेमी x ½ सेमी x ½ सेमी का कटा हुआ घाव।

(v) खोपड़ी के पीछे आँक्सीपीटल भाग पर 4 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव, हड्डी की गहराई तक।

(vi) खोपड़ी के दाहिने पेराइटल भाग पर 5 सेमी x 2 सेमी का कटा हुआ घाव, हड्डी की गहराई तक।

(vii) खोपड़ी के बाएं पेराइटल भाग पर 10 सेमी x 3 सेमी का कटा हुआ घाव, हड्डी की गहराई तक।

(viii) खोपड़ी के बाएं पेराइटल भाग पर 6 सेमी x 2 सेमी का कटा हुआ घाव, हड्डी की गहराई तक।

(ix) खोपड़ी के बाएं आँक्सीपीटल भाग पर 3 सेमी x 2 सेमी का कटा हुआ घाव, हड्डी की गहराई तक।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(x) दाहिने इन्फ्रा-क्लेविकल क्षेत्र पर 2½ सेमी x 1 सेमी का घोंपा गया घाव ।

(xi) दाहिने इन्फ्रा-क्लेविकल भाग पर 2½ सेमी x 1 सेमी का घोंपा गया घाव, सीने की गहराई तक।

(xii) दाहिने सुपर-मेमोरी भाग पर 2 सेमी x 1 सेमी का घोंपा गया घाव, सीने की गहराई तक।

(xiii) दाहिने मेमोरी भाग पर 2 सेमी x 1 सेमी का घोंपा गया घाव, सीने की गहराई तक।

(xiv) दाहिने इन्फ्रा-मेमोरी भाग तक 2 सेमी x 1 सेमी का घोंपा गया घाव, सीने की गहराई तक।

(xv) दाहिने इन्फ्रा-मेमोरी भाग तक 2½ सेमी x 1 सेमी का घोंपा गया घाव, सीने की गहराई तक।

(xvi) दाहिने इन्फ्रा-मेमोरी भाग तक 2½ सेमी x 1 सेमी का घोंपा गया घाव, सीने की गहराई तक।

(xvii) दाहिने इन्फ्रा-मेमोरी भाग तक 2 सेमी x 1 सेमी का घोंपा गया घाव, सीने की गहराई तक।

(xviii) चोट क्रमांक 17 के ठीक नीचे 2 सेमी x 1 सेमी का घोंपा गया घाव, सीने की गहराई तक।

(xix) सीने के बाईं ओर इन्फ्रा-क्लेविकल भाग में 3 सेमी x 1 सेमी का गहरा घोंपा गया घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(xx) दाहिने इन्फ्रा-क्लेविकल भाग में 3 सेमी x 1 सेमी का गहरा घोंपा गया घाव।

(xxi) बाएं सुपर-मेमोरी भाग पर सीने के भीतर तक 3 सेमी x 1 सेमी का गहरा घोंपा गया घाव।

(xxii) बाएं मेमोरी भाग पर सीने के भीतर तक 2 सेमी x 1 सेमी का गहरा घोंपा गया घाव।

(xxiii) बाएं मेमोरी भाग पर सीने के भीतर तक 2 सेमी x 1 सेमी का गहरा घोंपा गया घाव।

(xxiv) सीने के बाईं ओर पैरास्टर्नल भाग में 3 सेमी x 1 सेमी का गहरा घोंपा गया घाव।

(xxv) बाएं प्रीकॉर्डियल भाग पर सीने के भीतर तक 3 सेमी x 1 सेमी का गहरा घोंपा गया घाव।

(xxvi) एपिगैस्ट्रिक भाग पर 3 सेमी x 1 सेमी के दो घोंपे गए घाव, जो पेट की गहराई तक थे। घाव से आंत की झिल्ली बाहर आ रही थी।

(xxvii) दाहिने हाइपोकॉन्ड्रियम पर 3 सेमी x 1 सेमी का पेट की गहराई तक घोंपा गया घाव।

(xxviii) बाएं हाइपोकॉन्ड्रियम पर 3 सेमी x 1 सेमी का पेट की गहराई तक घोंपा गया घाव।

(xxix) नाभि के पास 2 सेमी x 1 सेमी का पेट की गहराई तक घोंपा गया घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(xxx) दाहिनी कलाई पर 6 सेमी x 5 सेमी का कटा हुआ घाव, हड्डी की गहराई तक। (xxxi) दाहिनी अग्रबाहु पर 2 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव, हड्डी की गहराई तक।

(xxxii) दाहिनी मध्य उंगली पर 4 सेमी x 1 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव।

(xxxiii) बाएं हाथ पर 10 सेमी x 5 सेमी का कटा हुआ घाव, हड्डी की गहराई तक।

(xxxiv) दाहिने हाथ पर 4 सेमी x ½ सेमी x ½ सेमी का कटा हुआ घाव।

(xxxv) बाईं अग्रबाहु पर 10 सेमी x 6 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव।

(xxxvi) बाएं घुटने पर 4 सेमी x ½ सेमी x ½ सेमी का कटा हुआ घाव।

(xxxvii) दाहिने स्कैपुला भाग पर 2 सेमी x ½ सेमी x ½ सेमी का घोंपा गया घाव। (xxxviii) पीठ पर 2 सेमी x ½ सेमी x ½ सेमी का घोंपा गया घाव।

(xxxix) दाहिने कान पर 4 सेमी x 1 सेमी x ½ सेमी का कटा हुआ घाव।

(xl) श्वास नली (Trachea) पर 2 सेमी x ½ सेमी x ½ सेमी का कटा हुआ घाव।

(xli) श्वास नली पर 1 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव। आँक्सीपीटल भाग में 8 सेमी x 8 सेमी का अस्थि-भंग और मस्तिष्क पर रक्तगुल्म ।

(xlii) बाएं फेफड़े पर पाँच वेधन घाव और दाहिने फेफड़े पर छह वेधन घाव।

(xliii) दाहिनी और बाईं फुफ्फुस गुहा पर क्रमशः छह और पाँच वेधन घाव।

(xliv) हृदयावरण पर तीन वेधन घाव।

(xlv) आमाशय पर चार वेधन घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(xlvi) छोटी आंत पर दो वेधन घाव।

(xlvii) बड़ी आंत पर दो वेधन घाव।

(xlviii) यकृत पर दो वेधन घाव।

(xlix) प्लीहा पर दो वेधन घाव।

मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ सदमा था। मृतक मोहन बंजारे के पिता प्राणसिंह बंजारे से रक्त रंजित एक पैंट प्रदर्श पी/1 के माध्यम से जब्त की गई। पटवारी ने भी प्रदर्श पी/9 के माध्यम से घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया। मृतक के सीलबंद कपड़े प्रदर्श पी/17 के माध्यम से जब्त किए गए। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया और प्रदर्श पी/19 के माध्यम से अपीलार्थी ओमप्रकाश से जब्त खंजर तथा अपीलार्थी अजय बंजारे से जब्त तलवार पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हुई।

4. साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अधीन दर्ज किए गए और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के समक्ष अभियोग- पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, दुर्ग को उपार्पित किया, जहाँ से प्रकरण विचारण हेतु विद्वान पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के दोष को साबित करने हेतु, अभियोजन ने कुल तेरह साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण का परीक्षण संहिता की धारा 313 के अधीन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रतीत परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोष होने तथा प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसाए जाने का दावा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार सिद्धदोष एवं दंडित किया है।

7. हमने अपीलार्थी क्रमांक 1 के अधिवक्ता श्री राजकुमार गुप्ता, अपीलार्थी क्रमांक 2 के अधिवक्ता श्री योगेश पाण्डेय, अपीलार्थी क्रमांक 3 की अधिवक्ता श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, अपीलार्थी क्रमांक 4 के अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत और राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधुनिषा सिंह को सुना, तथा आक्षेपित निर्णय एवं विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

8. अपीलार्थी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार गुप्ता, अपीलार्थी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश पाण्डेय, अपीलार्थी क्रमांक 3 की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती हमीदा सिद्दीकी और अपीलार्थी क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत ने तर्क किया कि यह प्रकरण मुख्यतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के प्रकरण में, अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि वह परिस्थितियों की ऐसी

श्रृंखला को पूर्ण साबित करे जो अभियुक्त के दोष के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ हो। ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के दोष के अनुकूल होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए। परंतु वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन ने अपीलार्थीगण को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। दोषसिद्धि केवल अनुमानों और अटकलों पर आधारित है; विधि के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को यथावत रखने योग्य नहीं है। अभियुक्त व्यक्तियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, और यदि यह मान भी लिया जाए कि अपीलार्थीगण ने प्रदर्श पी/3 दर्ज कराई है, तो भी वह साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 26 और 27 से बाधित है। वास्तव में, अभियोजन ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलार्थीगण ने उक्त अपराध कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थीगण ने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/3 दर्ज कराई है, उन्होंने रक्त रंजित हथियार पेश किए और उन्हीं के निशानदेही पर इन हथियारों की बरामदगी हुई है, शव बरामद किया गया था, मृतक मोहन बंजारे की हत्या मानव वध चिकित्सकीय साक्ष्य से स्थापित हो चुकी है और अभियोजन ने परिस्थितियों की पूर्ण श्रृंखला को साबित कर दिया है।

10. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की विवेचना करने हेतु, हमने उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

11. वर्तमान प्रकरण में, मृतक के शरीर पर पाई गई घातक चोटों लगभग चौदह बाहरी और पैंतालीस आंतरिक चोटें, अस्थि-भंग, रक्तस्राव और वेधन घावों के परिणामस्वरूप हुई मानववध मृत्यु के तथ्य को अपीलार्थीगण की ओर से विवादित नहीं किया गया है। दूसरी ओर, डॉ. ए.पी.

सामंत (अ.सा.-9) के साक्ष्य और शव-परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/10) से भी यह स्थापित हुआ है कि मृत्यु की प्रकृति मानववध थी।

12. जहाँ तक प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता का संबंध है, उनकी दोषसिद्धि मुख्यतः हथियारों को पेश करने और उनकी जब्ती, घटना के ठीक बाद पुलिस थाना में अपीलार्थीगण की उपस्थिति, अपीलार्थी अजय बंजारे और ओमप्रकाश से बरामद तलवार एवं खंजर पर रक्त की मौजूदगी, तथा घटनास्थल पर एक ननचाकू का भाग मिलने और उसका दूसरा भाग अपीलार्थी टेकराम से जब्त किए जाने पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी अजय बंजारे की निशानदेही पर शव का बरामद होना भी आधार बनाया गया है।

13. वर्तमान प्रकरण में, वास्तव में स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। मृतक मोहन बंजारे के पिता प्राणसिंह बंजारे (अ.सा.-1) के साक्ष्य के अनुसार, घटना की रात पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि उनके पुत्र मोहन का शव निकुड़िया रोड के पास पड़ा है। तत्पश्चात वे निकुड़िया रोड गए जहाँ उनके पुत्र का शव छबी के खेत में नाले के पास पड़ा था, वह बुरी तरह घायल था। घटना के सात दिन पश्चात, घटनास्थल के पास से अपीलार्थी टेकराम की एक जीन्स पैंट मिली जिसे उन्होंने पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया और उसे प्रदर्श पी/1 के माध्यम से जब्त किया गया। उसके प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 के अनुसार, पुलिस ने उन्हें रात के करीब 4 बजे घटना के संबंध में सूचित किया था। मृतक मोहन बंजारे की बहन संगीता (अ.सा.-2) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। भाग बली (अ.सा.-3) ने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट) प्रदर्श पी/3 और जब्ती प्रदर्श पी/4 से पी/7 के साक्षी घनश्याम मिश्रा (अ.सा.-4) और मोहम्मद आबिद (अ.सा.-6) ने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है, किंतु उन्होंने प्रदर्श पी/3 से पी/7 पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। पुलिस ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। पान दुकान संचालक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चैतू (अ.सा.-5) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि शाम 7 बजे अपीलार्थी दमेश्वर, ईश्वरी और मृतक मोहन के साथ उसकी दुकान पर आए थे और गुटखा खरीदने के बाद उसकी दुकान से चले गए थे, और अगले दिन सुबह उसे ज्ञात हुआ कि मोहन की हत्या कर दी गई है। ईश्वरी प्रसाद (अ.सा.-7) ने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। उप-निरीक्षक आई.पी. खरवाड़े (अ.सा.-13), जो कि विवेचना अधिकारी हैं, के साक्ष्य के कण्डिका 1 के अनुसार, दिनाँक 10.5.2002 को रात 11.45 बजे अपीलार्थी अजय बंजारे ने प्रदर्श पी/3 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे उन्होंने घनश्याम मिश्रा (अ.सा.-4) और मोहम्मद आबिद (अ.सा.-6) की उपस्थिति में दर्ज किया था। उनके साक्ष्य के कण्डिका 4 के अनुसार, अपीलार्थी अजय ने तलवार पेश की जिसे प्रदर्श पी/4 के माध्यम से जब्त किया गया, अपीलार्थी ओमप्रकाश ने खंजर पेश किया जिसे प्रदर्श पी/5 के माध्यम से जब्त किया गया, अपीलार्थी दमेश्वर ने एक लाठी पेश की जिसे प्रदर्श पी/6 के माध्यम से जब्त किया गया और अपीलार्थी टेकराम ने ननचाकू पेश किया जिसे प्रदर्श पी/7 के माध्यम से जब्त किया गया। प्रदर्श पी/3 के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक 10.5.2002 को रात 11:45 बजे दर्ज की गई थी, जिसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बीस मिनट के भीतर इस साक्षी ने अपीलार्थी अजय बंजारे से प्रदर्श पी/4 के माध्यम से तलवार जब्त की; प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पच्चीस मिनट बाद अपीलार्थी ओमप्रकाश से प्रदर्श पी/5 के माध्यम से खंजर जब्त किया; प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तीस मिनट बाद अपीलार्थी दमेश्वर से प्रदर्श पी/6 के माध्यम से लाठी जब्त की और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पैंतीस मिनट बाद अपीलार्थी टेकराम से प्रदर्श पी/7 के माध्यम से ननचाकू का टुकड़ा जब्त किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वास्तव में, अभियोजन ने केवल उपरोक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि वर्तमान अपीलार्थी दिनाँक 10.5.2002 को रात 11.45 बजे पुलिस थाना नंदिनी पहुँचे थे, वे उपरोक्त हथियार लिए हुए थे।

अपीलार्थी अजय बंजारे ने प्रदर्श पी/3 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर अन्य अपीलार्थीगण ने उपरोक्त हथियार पेश किए जिन्हें इस साक्षी ने प्रदर्श पी/4 से पी/7 के माध्यम से जब्त किया। रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/19 के अनुसार, अपीलार्थी ओमप्रकाश से जब्त खंजर, अपीलार्थी अजय बंजारे से जब्त तलवार और घटनास्थल के पास मिले ननचाकू का दूसरा भाग रक्त रंजित हुआ था। प्रदर्श पी/3 में संस्वीकृति और असंस्वीकृति दोनों प्रकार की जानकारी शामिल है। प्रदर्श पी/3 से पी/7 के साक्षियों घनश्याम मिश्रा (अ.सा.-4) और मोहम्मद आबिद (अ.सा.-6) ने उक्त दस्तावेजों का समर्थन नहीं किया है, किंतु उन्होंने उन पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। उन्होंने पुलिस द्वारा किसी भी दबाव, धमकी या डर, या उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी अन्य परिस्थिति के संबंध में कुछ भी कथन नहीं किया है। यह दर्शाता है कि वे सत्य को छिपा रहे हैं। इन परिस्थितियों में, केवल विवेचना अधिकारी आई.पी. खरवाड़े (अ.सा.-13) का साक्ष्य ही विचार हेतु शेष बचता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. वह एक पुलिस अधिकारी है, किंतु केवल इस आधार पर उसके साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वह एक पुलिस अधिकारी है और प्रकरण के परिणाम में रुचि रखता है। पुलिस अधिकारी के कथन के साक्ष्यिक मूल्य और विश्वसनीयता के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अनिल उर्फ अंद्या सदाशिव नंदोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[1] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्षियों का पुलिस अधिकारी होना अपने आप में उनकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न नहीं करता है, बशर्ते पंच साक्षियों का परीक्षण न किए जाने का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया हो। सुसंगत भाग निम्नानुसार है:

> "वास्तव में खोज और जब्ती के समर्थन में परीक्षित किए गए सभी पाँचों अभियोजन साक्षी, छापेमारी दल के सदस्य थे। वे सभी पुलिस अधिकारी हैं।

1 AIR 1996 SCW 2943

यद्यपि, विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य को त्यक्त कर दिया जाना चाहिए या यह कि इसमें कोई अंतर्निहित दुर्बलता होती है। विवेक, हालांकि, यह अपेक्षा करता है कि पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य, जो प्रकरण के परिणाम में रुचि रखते हैं, उनकी सावधानीपूर्वक जांच और स्वतंत्र रूप से विवेचना की जानी चाहिए। पुलिस अधिकारी साक्ष्य देने के लिए किसी भी अक्षमता से ग्रसित नहीं हैं और केवल यह तथ्य कि वे पुलिस अधिकारी हैं... अपने आप में... उनकी विश्वसनीयता के बारे में कोई संदेह पैदा नहीं करता है। हमने सभी 5 पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक और आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि उनमें से कोई भी अपीलार्थी के प्रति शत्रुतापूर्ण था और विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण के बावजूद उनका साक्ष्य पूरे परीक्षण के दौरान अडिग रहा है। इन साक्षियों ने अपीलार्थी को पकड़ने के लिए बिछाए गए जाल के विवरण और उसे पकड़ने के तरीके को स्पष्ट शब्दों में बताया है। अपीलार्थी से हथियारों की खोज और जब्ती के संबंध में उनका साक्ष्य सीधा, सुसंगत और विशिष्ट है। यह विश्वास जगाता है और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उनके साक्ष्य में किसी भी गंभीर, घातक कमी को इंगित करने में सक्षम नहीं रहे हैं। हमारी राय में, अपीलार्थी के सचेतन कब्जे से देशी रिवॉल्वर की खोज और जब्ती का तथ्य अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया गया है। दो पंच साक्षियों के परीक्षण न करने के लिए अभियोजन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, जो अ.सा.-4 पी.आई. गायकवाड़ द्वारा दायर रिपोर्ट प्रदर्श 24 द्वारा समर्थित है, संतोषजनक है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य बताते हैं कि छापेमारी दल ने तलाशी और जब्ती

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के समय अपने साथ दो स्वतंत्र पंचों को शामिल करने का निष्ठापूर्ण प्रयास किया और उन्हें शामिल किया गया था। उन्हें अभियोजन के साक्षियों के रूप में भी नामित किया गया था और साक्ष्य देने के लिए तलब किया गया था। हालांकि, अभियोजन एजेंसी द्वारा उन्हें तामील करने के हरसंभव प्रयासों के बावजूद, उनका पता नहीं लगाया जा सका, और इसलिए, विचारण में उनका परीक्षण नहीं किया जा सका। रिपोर्ट प्रदर्श 24 में बताए गए तथ्यों के सामने, जिनकी सत्यता अ.सा.-4 की प्रतिपरीक्षण के दौरान वस्तुतः निर्विवाद रही है, दो पंचों के परीक्षण न होने को किसी तिरछे कारण से नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार विचारण में उनके पेश न होने से अभियोजन के प्रकरण में कोई कमी नहीं हुई है। अभियोजन पर इन साक्षियों को रोकने का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसने विचारण में उन्हें खोजने और पेश करने का हर संभव प्रयास किया लेकिन इस तथ्य के कारण विफल रहा कि वे तलाशी के समय दिए गए पते को छोड़ चुके थे और उस संबंध में किए गए हरसंभव प्रयास के बावजूद उनके ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सका। इसलिए, हम अपीलार्थी की गिरफ्तारी, छापेमारी दल द्वारा की गई तलाशी और जब्ती और अपीलार्थी से देशी रिवॉल्वर और कारतूस की बरामदगी, जिसके लिए वह कोई लाइसेंस या अधिकार पेश नहीं कर सका, के संबंध में अभियोजन के संस्करण की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। पंच साक्षियों के परीक्षण न होने के बावजूद, हम पाते हैं कि अ.सा.-1 से अ.सा.- 5 के साक्ष्य विश्वसनीय, ठोस और भरोसेमंद हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **पी.पी. बीरन विरुद्ध केरल राज्य**[2] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुलिस उप-निरीक्षक के असंपुष्ट साक्ष्य का अवलंब लिया जा सकता है।"

17. वर्तमान प्रकरण में, घनश्याम मिश्रा (अ.सा.-4) और मो. आबिद (अ.सा.-6) ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि यदि पाँच कागजात तैयार नहीं किए गए थे और पुलिस ने अपीलार्थीगण से उपरोक्त हथियार जब्त नहीं किए थे, तो उन्होंने उन पर हस्ताक्षर क्यों किए। उपरोक्त परिस्थिति की अनुपस्थिति में, यह प्रकट होता है कि वे सत्य को छिपा रहे हैं।

18. बचाव पक्ष अपने बचाव में ऐसा कुछ भी दर्शित करने में सफल नहीं रहा है जिससे यह पता चले कि सहायक उप-निरीक्षक आई.पी. खरवाड़े (अ.सा.-13) एक हितबद्ध साक्षी हैं और उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है। वह एक पुलिस अधिकारी हैं। अपराध की जांच करना उनका कर्तव्य था और केवल उनके आधिकारिक कर्तव्य के आधार पर उन्हें हितबद्ध साक्षी के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सकता है। उनके साक्ष्य को केवल इस आधार पर त्यक्त या अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे एक पुलिस अधिकारी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन ने मुख्य रूप से आई.पी. खरवाड़े (अ.सा.-13) अर्थात् विवेचना अधिकारी और चिकित्सा साक्ष्य का परीक्षण किया है। अपराध की विवेचना करने वाले विवेचना अधिकारी उप-निरीक्षक आई.पी. खरवाड़े (अ.सा.-13) के साक्ष्य के कण्डिका 1 के अनुसार, दिनाँक 10.5.2002 को रात 11.45 बजे अपीलार्थी अजय बंजारे ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/3 के माध्यम से दर्ज कराई थी, जिसे उन्होंने घनश्याम मिश्रा (अ.सा.-4) और मो. आबिद (अ.सा.-6) की उपस्थिति में दर्ज किया था। उनके साक्ष्य के कण्डिका 4 के अनुसार, अपीलार्थी अजय ने एक तलवार पेश की जिसे प्रदर्श पी/4 के माध्यम से जब्त किया गया, अपीलार्थी ओमप्रकाश ने एक खंजर पेश किया जिसे प्रदर्श पी/5 के माध्यम से जब्त किया गया,

2 AIR 2001 SC 2420

अपीलार्थी दमेश्वर ने एक लाठी पेश की जिसे प्रदर्श पी/6 के माध्यम से जब्त किया गया और अपीलार्थी टेकराम ने एक ननचाकू पेश किया जिसे प्रदर्श पी/7 के माध्यम से जब्त किया गया। प्रदर्श पी/3 के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक 10.5.2002 को रात 11.45 बजे दर्ज की गई है, उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बीस मिनट के भीतर इस साक्षी ने अपीलार्थी अजय बंजारे से प्रदर्श पी/4 के माध्यम से तलवार जब्त की है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पच्चीस मिनट बाद उन्होंने अपीलार्थी ओमप्रकाश से प्रदर्श पी/5 के माध्यम से खंजर जब्त किया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तीस मिनट बाद उन्होंने अपीलार्थी दमेश्वर से प्रदर्श पी/6 के माध्यम से लाठी जब्त की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पैंतीस मिनट बाद उन्होंने अपीलार्थी टेकराम से प्रदर्श पी/7 के माध्यम से 'ननचाकू' का टुकड़ा जब्त किया है। आई.पी. खरवाड़े (अ.सा.-13) के साक्ष्य के कण्डिका 5 के अनुसार, उन्होंने बांस की छड़ी का एक टुकड़ा, 'ननचाकू' का टुकड़ा, मृतक के दांत, मृतक के सिर के बाल, रक्त रंजित और सादी मिट्टी और मृतक की चप्पलें प्रदर्श पी/16 के माध्यम से जब्त की हैं। उनके साक्ष्य के कण्डिका 7 के अनुसार, उन्होंने जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को प्रदर्श पी/18 के माध्यम से भेजा था और रिपोर्ट प्रदर्श पी/19 है, जिसने अपीलार्थी ओमप्रकाश से जब्त खंजर और अपीलार्थी अजय से जब्त तलवार, घटनास्थल पर पड़े ननचाकू के टुकड़े, दांत, बाल और घटनास्थल से जब्त रक्त रंजित मिट्टी पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि की है। तलवार और खंजर अपीलार्थी अजय और ओमप्रकाश से जब्त किए गए। शेष वस्तुएं गिरहोला पुल के पास से जब्त की गई हैं। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षण की है, लेकिन वह अपने प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी निकालने में सफल नहीं रहा है कि उसने अपीलार्थीगण से और गिरहोला पुल के पास से उपरोक्त वस्तुओं को जब्त नहीं किया है। शव खेत में नाले के पास मिला था। नजरी नक्शा प्रदर्श पी/12 के अनुसार, प्रदर्श पी/16 के माध्यम से जब्त की गई वस्तुएं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गिरहोला पुल के पास मिली थीं और मृतक का शव उपरोक्त पुल से एक फर्लांग की दूरी पर खेत से बरामद किया गया था।

20. विवेचना अधिकारी आई.पी. खरवाड़े (अ.सा.-13) ने वर्तमान अपीलार्थीगण में से एक, अर्थात् अजय बंजारे द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/3 को सिद्ध किया है। प्रदर्श पी/3 प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री...

(अ) अपीलार्थी अजय बंजारे का संस्वीकृति कथन।

(ब) अपीलार्थी अजय बंजारे का गैर-संस्वीकृति कथन।

(स) तथ्य के प्रकटीकरण का कथन ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रदर्श पी/3 प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सभी अपीलार्थीओं ने मृतक मोहन बंजारे को घेर लिया था और उसकी मानव वध कारित की थी। संस्वीकृति कथन का पूर्वोक्त भाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से बाधित है और साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/3 में अपीलार्थीओं के निम्नलिखित गैर-संस्वीकृति भाग/आचरण और स्वीकारोक्ति शामिल हैं:

(अ) सभी अपीलार्थी 10.05.2002 को रात 10 बजे गिरहोला पुल के पास मौजूद थे।

(ब) अपीलार्थी अजय बंजारे के पास तलवार थी, अपीलार्थी ओमप्रकाश के पास खंजर था, अपीलार्थी दमेश्वर के पास लाठी थी और अपीलार्थी टेकराम के पास ननचाकू था।

(स) मोहन बंजारे की रात लगभग 10 बजे गिरहोला पुल के पास चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

(द) सभी अपीलार्थी उक्त पुल से चार किलोमीटर दूर स्थित पुलिस थाना नंदिनी में एक घंटे पैंतालीस मिनट के भीतर पहुँच गए।

(इ) अपीलार्थी उपरोक्त हथियार धारण किए हुए थे (तथ्य का प्रकटीकरण कथन)।

(फ) प्रदर्श पी/3 प्रथम सूचना रिपोर्ट से पता चलता है कि मोहन बंजारे का घायल मृत शरीर परिसर के नीचे खेत में पड़ा था।

(ज) आई.पी. खरवाड़े (अ.सा.-13) के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने अपीलार्थी अजय से रक्त रंजित तलवार, अपीलार्थी ओमप्रकाश से रक्त रंजित खंजर, अपीलार्थी टेकराम से 'ननचाकू' का टूटा हुआ टुकड़ा और अपीलार्थी दमेश्वर से लाठी प्रदर्श पी/4 से पी/7 के माध्यम से जब्त की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. जहाँ तक मोहन बंजारे के मृत शरीर के प्रकटीकरण कथन और उसकी बरामदगी का प्रश्न है, यद्यपि इस साक्षी (अ.सा.-13) ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि उसने या किसी पुलिस अधिकारी ने मृतक के पिता प्राणसिंह बंजारे (अ.सा.-1) को मोहन बंजारे के मृत शरीर के बारे में सूचित किया था, लेकिन प्राणसिंह बंजारे ने अपने साक्ष्य के कण्डिका 6 में विशेष रूप से यह कथन दिया है कि घटना के दिन रात में पुलिस उनके घर आई और सूचित किया कि उनके बेटे मोहन बंजारे का शरीर निकुड़िया रोड पर नाले के पास पड़ा है। इसके बाद वह पुलिस अधिकारी और दो अन्य व्यक्तियों के साथ उक्त स्थान पर गए जहाँ उन्होंने अपने बेटे मोहन का मृत शरीर छबी के खेत में नाले के पास रक्त रंजित पड़ा हुआ पाया। उन्होंने मोहन बंजारे के शरीर पर चोटों के निशान भी देखे थे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज उनका कथन प्रदर्श डी/1 भी इसी तथ्य को प्रकट करता है। प्राणसिंह बंजारे (अ.सा.-1) के साक्ष्य का यह भाग अखंडित है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी अजय बंजारे द्वारा मोहन बंजारे के

शव से संबंधित बताए गए तथ्य के आधार पर ही मोहन बंजारे का शव खोजा गया था और शव निकुड़िया रोड के किनारे खेत में मिला था। तथ्य के प्रकटीकरण को साबित करने के लिए किसी विशिष्ट प्रपत्र, विशिष्ट दस्तावेज़ या विशिष्ट तरीके की आवश्यकता नहीं होती है। अपीलार्थी अजय बंजारे ने प्रदर्श पी/3 के माध्यम से पुलिस अधिकारी को तथ्य का खुलासा किया था और उक्त तथ्य अर्थात मोहन बंजारे का मृत शरीर, अपीलार्थी अजय बंजारे के बताए अनुसार ही खोजा गया था। प्राणसिंह बंजारे (अ.सा.-1) के साक्ष्य के कण्डिका 2 के अनुसार, घटना के दिन शाम लगभग 7 बजे मोहन बंजारे जीवित था, उसने शाम लगभग 7 बजे अपना घर छोड़ा था, जिसके बाद उसका शव मिला। निश्चित रूप से शव छिपाया नहीं गया था, लेकिन इसे देर रात खेत से खोजा गया था;यद्यपि यह एक खुला स्थान था, किंतु देर रात किसी सामान्य मनुष्य के लिए उस स्थान पर जाना सम्भव नहीं था या रात में खेत में पड़े शव की जानकारी होना एक सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य और स्वाभाविक नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई जाती है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का संस्वीकृति भाग साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से बाधित होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रकटीकरण का भाग, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त के कहने पर तथ्य के प्रकटीकरण की सीमा तक साक्ष्य में स्वीकार्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का गैर-संस्वीकृति भाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 और 21 के अधीन अपीलार्थी के आचरण और स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य में स्वीकार्य है।

23. अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के उपयोग और अभियुक्त के विरुद्ध उसके साक्ष्य मूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, **भेरू सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य**[3] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम

3 (1994) 2 SCC 467

सूचना रिपोर्ट का उपयोग अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन आचरण के साक्ष्य के रूप में और धारा 27 के अधीन स्वीकार्य तथ्यों के प्रकटीकरण के संबंध में किया जा सकता है। उक्त निर्णय के कण्डिका-17 और 19 निम्नानुसार हैं:

> "17. जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दी जाती है और वह संस्वीकृति कथन की श्रेणी में आती है, तो ऐसी संस्वीकृति का प्रमाण साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 द्वारा निषिद्ध है। संस्वीकृति कथन के किसी भी हिस्से को साबित नहीं किया जा सकता और न ही साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन इसकी अनुमति है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है। इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अधीन सूचनाकर्ता की पुष्टि करने के लिए या धारा 145 के अधीन उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है, यदि सूचनाकर्ता विचारण में साक्षी के रूप में उपस्थित होता है। जहाँ अभियुक्त स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराता है, उसके द्वारा पुलिस को सूचना देने का तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन उसके आचरण के साक्ष्य के रूप में उसके विरुद्ध स्वीकार्य है, और जिस सीमा तक यह प्रकृति में गैर-संस्वीकृति है, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के अधीन भी सुसंगत होगा। लेकिन अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का संस्वीकृति भाग, धारा 25 के प्रतिबंध के कारण उसके विरुद्ध बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"19. इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के सावधानीपूर्वक परिशीलन से हम पाते हैं कि इसमें हत्या के हेतुक और उस तरीके का खुलासा किया गया है जिससे अपीलार्थी ने छह हत्याएं की थीं। अपीलार्थी ने वह रक्त रंजित तलवार पेश की जिससे उसके अनुसार उसने हत्याएं की थीं। हमारी राय में, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-42), हालांकि पूर्णतः संस्वीकृति कथन नहीं है, किंतु इसका केवल वही भाग साक्ष्य में स्वीकार्य है जो संस्वीकृति की श्रेणी में नहीं आता और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों से बाधित नहीं है। अपीलार्थी का मृतकों के साथ संबंध; अपराध करने का हेतुक और उसकी भाभी (अ.सा.- 11) की उपस्थिति, किसी अपराध को करने की संस्वीकृति की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे कथन गैर-संस्वीकृति हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाने में रक्तरंजित तलवार को पेश करना और उसकी जब्ती भी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों द्वारा संरक्षित है। हालांकि, यह कथन कि तलवार का उपयोग हत्याएं करने के लिए किया गया था और साथ ही अपराध करने का तरीका, साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अग्राह्य है। इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित सीमित सीमा तक ही यह स्वीकार्य है और उस सीमा को छोड़कर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-42) के अन्य भाग को साक्ष्य से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि शेष कथन अपराध करने की संस्वीकृति के समान है और साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. जहाँ तक हेतुक का प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन के प्रारंभिक पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी अजय, मृतक मोहन बंजारे की चचेरी बहन संगीता (अ.सा.-2) के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करने और उसकी शील भंग करने का अभ्यस्त है, परंतु संगीता (अ.सा.-2) ने उक्त तथ्य को स्वीकार नहीं किया है और अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है; किंतु संगीता की चचेरी बहन श्रीमती सरोज (अ.सा.-12) ने अपने साक्ष्य में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है और यह भी बयान दिया है कि मृतक ने अपीलार्थी अजय को संगीता से क्षमा माँगने के लिए विवश किया था और यही अपराध कारित करने का कारण/ हेतुक था।

25. प्राणसिंह बंजारे (अ.सा.-1), विवेचना अधिकारी आई.पी. खरवाड़े (अ.सा.-13) और डॉ. ए.पी. सावंत (अ.सा.-9) का परीक्षण कर अभियोजन ने निम्नलिखित परिस्थितियों को सिद्ध किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) दिनांक 10.5.2002 को रात्रि 10 बजे से पहले मृतक मोहन बंजारे जीवित था।

(ii) पूर्व में मृतक मोहन बंजारे की चचेरी बहन संगीता की शील भंग करने हेतु आपराधिक बल के प्रयोग के कारण, मृतक मोहन बंजारे द्वारा अपीलार्थी अजय की निंदा की गई थी और उसे संगीता से क्षमा माँगने के लिए विवश किया गया था, जो अपराध कारित करने का हेतुक था।

(iii) दिनांक 10.5.2002 को रात्रि 10 बजे सभी अपीलार्थी गिरहोला पुल पर उपस्थित थे; अपीलार्थी अजय तलवार लिए हुए था, अपीलार्थी ओमप्रकाश खंजर लिए हुए था, अपीलार्थी दमेश्वर लाठी लिए हुए था और अपीलार्थी टेकराम ननचाकू लिए हुए था।

(iv) मोहन बंजारे की मृत्यु कारित किए गए चोटों के कारण उक्त पुल के समीप हुई। उक्त पुल के पास मृतक मोहन बंजारे के चार दाँत, चप्पल, सिर के बाल और रक्त रंजित मिट्टी पाई गई थी।

(v) अपीलार्थी अजय बंजारे, अन्य अपीलार्थीगण ओमप्रकाश, टेकराम और दमेश्वर के साथ, मोहन बंजारे की मृत्यु के एक घंटे पैंतालीस मिनट के भीतर, उक्त पुल से चार किलोमीटर दूर स्थित थाना नंदिनी पहुँचा।

(vi) अपीलार्थी अजय बंजारे ने प्रदर्श पी/3 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

(vii) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के चालीस मिनट के भीतर, अपीलार्थी अजय बंजारे से रक्त रंजित तलवार, अपीलार्थी ओमप्रकाश से रक्त रंजित खंजर, अपीलार्थी दमेश्वर से लाठी और अपीलार्थी टेकराम से ननचाकू का टुकड़ा प्रदर्श पी/4 से पी/7 के तहत जब्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(viii) घटनास्थल अर्थात् उक्त पुल के पास से ननचाकू का एक टुकड़ा बरामद किया गया था।

(ix) अपीलार्थी अजय ने मोहन बंजारे के मृत शरीर के तथ्य के बारे में जानकारी दी और अपीलार्थी अजय बंजारे की निशानदेही पर, उस स्थान से जहाँ दाँत और अन्य वस्तुएँ पड़ी थीं, एक फर्लांग की दूरी पर स्थित खेत से शव बरामद किया गया।

26. यदि इन परिस्थितियों पर एक साथ विचार किया जाए, तो केवल यही निष्कर्ष संभव होगा कि उक्त अपीलार्थीगण ने ही मृतक मोहन बंजारे का मानववध कारित किया है और उक्त अपीलार्थीगण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने मृतक मोहन बंजारे की हत्या कारित नहीं किया

है। ये परिस्थितियाँ उक्त अपीलार्थीगण की निर्दोषता की संभावना को अपवर्जित करने के लिए भी पर्याप्त हैं।

27. अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के विवेचन करने के पश्चात, विद्वान पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्ध किया है तथा उन्हें आजीवन कारावास तथा 100/- रुपये के अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है।

28. जैसा कि **सी. चंगा रेड्डी विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य**[4] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, परिस्थितियों की उक्त श्रृंखला पूर्ण हो और अभियुक्त के दोष के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में अक्षम हो; और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के दोष के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत भी होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण पर, हम अपीलार्थीगण पर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

30. फलस्वरूप, अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/-	**सही/-**
(टी.पी. शर्मा)	**(एन.के. अग्रवाल)**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

4 AIR 1996 SC 3390: (1996) 10 SCC 193

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Vikeshveri

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur